भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय न्याय विभाग लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 963 जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

963. श्रीमती कविता मलोथु:

डॉ. जी. रणजीत रेड्डी :

डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता :

श्री दयाकर पसुनूरी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या प्रस्तावित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) संविधान के संघीय ढांचे के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम है, क्योंकि निचली न्यायपालिका राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती है:
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एआईजेएस के लिए नए प्रयास करने के क्या कारण हैं :
- (ग) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड आदि जैसे राज्यों ने एआईजेएस के कार्यान्वयन का विरोध किया है : और
- (घ) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री (श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन करने का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 312(1) में उपबंधित है। सरकार के विचार में, सम्पूर्ण न्याय परिदान प्रणाली को, सुदृढ़ करने के लिए उचित रुप से बनाई गई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा महत्वपूर्ण है। यह एक उचित अखिल भारतीय योग्यता चयन प्रणाली के माध्यम से चयनित उपयुक्त रुप से अर्हित नए प्रतिभाशाली विधिक व्यक्तियों के प्रवेश का अवसर प्रदान करेगी, और साथ ही यह समाज के सीमांत और वंचित वर्गों के लिए उपयुक्त प्रतिनिधित्व को समर्थ बनाकर सामाजिक समावेशन के मुद्दे का समाधान करेगी।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाया गया था और उसे नवम्बर, 2012 में सिववों की सिमिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। देश में कुछ बेहतरीन प्रतिभागियों को आकृषित करने के अलावा, यह सीमान्त वर्गों के सक्षम व्यक्तियों और महिलाओं के न्यायपालिका में समावेशन को भी सुकर बना सकता है। अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव को कार्यसूची मद के रुप में सिम्मिलित किया गया था और यह विनिश्चय किया गया था कि इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श तथा ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से विचार मांगे गए थे। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के बीच मत भिन्नता थी। जबिक, कुछ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, कुछ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं थे, जबिक कुछ अन्य, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते थे। 03 राज्य एआईजेएस के गठन के पक्ष में है, 09 राज्य पक्ष में नहीं हैं, उत्तराखंड सिहत 5 राज्य प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते है और पश्चिमी बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश सिहत 11 राज्यों ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती और सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के चयन प्रक्रिया के पुनर्विलोकन में सहायता करने के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन से संबंधित विषय मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की कार्यसूची में भी सम्मिलत किया गया था जो 3 और 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया था, जिसमें यह संकल्प किया गया था कि यह संबंधित उच्च न्यायालयों के लिए खुला छोड़ दिया जाए जिससे कि वे जिला न्यायाधीशों की शीघ्रतापूर्वक नियुक्ति के लिए रिक्तियों को भरने हेतु विद्यमान प्रणाली के भीतर समुचित पदधितयां विकसित कर सकें। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए प्रस्ताव के साथ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से प्राप्त विचारों को 5 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन के लिए कार्यसूची में सिम्मिलत किया गया था। तथापि, इस विषय पर कोई प्रगित नहीं हुई थी।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर, 16 जनवरी, 2017 को विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग के सिववों की उपस्थित में विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पात्रता, आयु, चयन मानदण्ड, अर्हता, आरक्षण आदि के बिन्दुओं पर पुन: चर्चा की गई थी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर मार्च, 2017 में संसदीय परामर्श सिमिति और तारीख 22.02.2021 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण से संबंधित संसदीय सिमिति की बैठक में भी विचार-विर्मश किया गया था।

पणधारियों के बीच विद्यमान मत भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार एक समान आधार पर पहुंचने के लिए पणधारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में लगी हुई है।
